कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन प्रकोष्ठ) जिला पन्ना (म0प्र0)

loksevapanna@gmail.com, Tel- 07732-252342

क्र0 / 614 / लो0से0प्र0 / वाहन नस्ती / 2018 / पन्ना, दिनांक 28/ 05 / 2018

प्रेस–नोट

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा आमंत्रण

म0प्र0 लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के क्रियान्वयन, संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला प्रबंधक लोक सेवा के लिये,लोक सेवा प्रबंधन विभाग भोपाल की अनुमति अनुसार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे मे रजिस्टर्ड वाहन, सेवा कर हेतु पंजीकृत अथवा प्रचलित नियमों मे टैक्सी सेवाओं के लिये अनुमत्य फर्मो / संस्थाओं / निजी वाहन स्वामी से डीजल वाहन बुलैरो / इंडिगो इत्यादि नवीन माडलों के वाहन फिक्स मासिक किराया रू. 14500 / – (बिना डीजल), वाहन का मॉयलेज 14 कि.मी. प्रति ली. ए.सी. चलने पर तथा 16 कि.मी. प्रति.ली. बिना ए.सी. की दर के आधार पर किराये के प्रस्ताव आमंत्रित है। प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर उपरोक्त दरों मे परिवर्तन जिला कलेक्टर की अनुमति से किया जा सकता है। वाहन किराये के प्रस्ताव अनुबंध शर्तो के अधीन होंगे। इच्छुक प्रस्ताव कर्ता विभाग की वेव साईट **http://mpedistrict.gov.in** पर अनुबंध की शर्ते संक्षिप्त निविदा प्रस्ताव आवेदन प्रारूप डाउनलोड कर सकते है। इच्छुक प्रस्ताव कर्ता निर्धारित प्रपत्र पर, उनके पास उपलब्ध वाहनों के प्रस्ताव दिनांक 11 / 06 / 2018 तक कार्यालय लोक सेवा प्रबंधन प्रकोष्ठ (जिला प्रबंधक,लोक सेवा) जिला पन्ना के पास सायं 4 बजे तक जमा कर सकते है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

mukesh 28/05/2018

जिला प्रबंधक (लोक सेवा)
जिला पन्ना (म0प्र0)

क्र0 / 614 / लो0से0प्र0 / वाहन नस्ती / 2018 / पन्ना, दिनांक 28 / 05 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. अनुविभागीय अधिकारी(रा0) पन्ना एवं अध्यक्ष निविदा समिति की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला कोषालय अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी लोक सेवा पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला पन्ना की ओर क्षेत्रीय व स्थानीय सामाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

mukesh 28/05/2018

जिला प्रबंधक (लोक सेवा)
जिला पन्ना (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन प्रकोष्ठ) जिला पन्ना (म0प्र0)

loksevapanna@gmail.com

म0प्र0 लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 का, लोक सेवा केन्द्रों तथा पदाभिहित कार्यालयों के माध्यम से क्रियान्वयन, संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला प्रबंधक लोक सेवा के लिये म0प्र0 शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र0 एफ 1–3/2012/लो.से.प्र./61 भोपाल दिनांक 10/09/2012 के द्वारा, वाहन किराये पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। अतः क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे मे रजिस्टर्ड वाहन, सेवा कर (Service Tax) हेतु पंजीकृत फर्मों/संस्थाओं अथवा प्रचलित नियमों मे टैक्सी सेवाओं के लिये अनुमत्य फर्मो/संस्थाओं से डीजल वाहन बुलैरो/इंडिगो इत्यादि नवीन माडलों के वाहन मासिक आधार पर किराये के प्रस्ताव निम्न शर्तो के अधीन आमंत्रित है।

<u>वाहन किराये के प्रस्ताव अनुबंध की निम्न मुख्य शर्तो के अधीन बंद लिफाफे में ही मान्य होंगेः–</u>

1. वाहन वर्ष 2016 के पूर्व का पंजीवद्ध न हो।
2. वाहन का चयन, प्राप्त प्रस्ताव एवं वाहन की स्थिति तथा उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुसार, गठित समिति की अनुसंशा के आधार पर कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा किया जायेगा।
3. चयनित वाहन प्रदाता को सुरक्षा निधि के रूप में रू0 5,000/– की राशि का डी.डी/चैक सचिव जिला ई गवर्नेस सोसायटी पन्ना के नाम एक सप्ताह में जमा करना होगा जो अनुबंध समाप्ति के पश्चात् वापिस हो सकेगी। अनुबंध शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी।
4. प्रस्ताव में वर्णित प्रतिलीटर औसत मायलेज/समिति के निर्णय के अनुरूप वाहन की डीजल खपत मान्य होगी।
5. वाहन प्रदाता वाहन मय चालक के उपलब्ध करायेगा। वाहन चालक के पास नियमानुसार टैक्सी चालक हेतु वैद्य ड्रायविंग लायसैंस होना आवश्यक है, वाहन चालक का वेतन भत्ता वाहन प्रदाता वहन करेगा।
6. वाहन चालक को वाहन के पंजीकरण ,वीमा ,रजिस्ट्रेशन ,ड्रायविंग लायसैंस इत्यादि सभी आवश्यक कागजात हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार की वाहन दुर्घटना होने पर, वाहन स्वामी उसके लिये उत्तरदायी रहेगा तथा समस्त खर्चे का वहन करेगा।
7. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है, वाहन मे स्टेपनी व चारों पहियों के टायर–ट्यूब व माईलोमीटर उत्तम व चालू हालत मे होना आवश्यक है।
8. रास्ते मे वाहन खराब होने की स्थिति मे सामान्यतया 2 घंटे मे सुधार कराकर पुनः उपलब्ध कराना होगा, दो घंटे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया भुगतान नही किया जायेगा। खराब वाहन को गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा। वाहन खराब होने की स्थिति में दूसरा वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व वाहन प्रदाता का रहेगा।
9. यदि वाहन प्रदाता अनुबंध अवधि के दौरान किसी कारणवश वाहन उपलब्ध कराने मे असमर्थ है, तो उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी।
10. वाहन चालक द्वारा उपयोग करने वाले अधिकारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गयी यात्रा का प्रमाणीकरण लॉग–बुक मे कराना होगा। प्रमाणित लॉग बुक की प्रतिलिपि मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. माईलोमीटर की गडवडी की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सडक मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार डीजल खपत मान्य किया जायेगा।
12. वाहन के उपयोग के फलस्वरूप यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जवावदारी वाहन प्रदाता की होगी।
13. वाहन के संधारण, होने वाली टूट–फूट,बैटरी, टायर–ट्यूब, लुब्रीकेन्ट्स आदि के व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
14. वाहन का टैक्स तथा सर्विस टैक्स नियमानुसार जमा कराने के लिये वाहन प्रदाता उत्तरदायी रहेगा।
15. प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कलेक्टर महोदय द्वारा वाहन के प्रकार,मासिक,प्रतिदिन किराये इत्यादि के सम्बंध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
16. किसी भी प्रकार के विवाद हेतु कलेक्टर महोदय का निर्णय अंतिम होगा।
17. चयनित प्रस्तावकर्ता को रू0 500/– के स्टाम्प पर एक वर्ष के लिये अनुबंध निष्पादित करना होगा, आवश्यकतानुसार एवं परस्पर सहमति के आधार पर पुनः नवीनीकृत किया जा सकेगा।
18. वाहन किराये के भुगतान हेतु प्रतिमाह लॉगबुक की प्रति के साथ देयक प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान प्राप्त आवंटन मे से आगामी माह में किया जायेगा।
19. विभाग को अधिकार होगा की वह अनुबंध में उल्लेखित अवधी के पूर्व भी बिना कोई कारण बताये 15 दिवस की अवधी की सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है।

मैं... आत्मज श्री ....निवासी...
.... उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो से सहमत हुं।

पन्ना,दिनांक...................................

(प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर)

लोक सेवा प्रबंधन प्रकोष्ठ पन्ना के लिये वाहन किराये पर देने हेतु संक्षिप्त निविदा प्रस्ताव (बंद लिफाफे मे देवे)

प्रति,

कलेक्टर,
जिला पन्ना

महोदय ,

मेने सभी आवश्यक शर्तो को पढ एवं समझ लिया है, जिस पर अपनी सहमति संलग्न करते हुये निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत हैः–

1. प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण फर्म/संस्था का नाम व पूर्ण पता (मोवाईल नम्बर सहित) – ....
....
....

2. क्या प्रस्ताव प्रस्तुत कर्ता,सेवाकर हेतु पंजीकृत है। – हॉ/नही,यदि हॉ तो पंजीयन क्रमांक ....

अथवा

क्या प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता टैक्सी सेवाओं के प्रदान हेतु प्राधिकृत अधिकारी से अनुमत्य है,यदि हॉ तो विवरण दें। –

वाहन का विवरण	वाहन का प्रकार		
	बोलेरो	इंडिगो	अन्य
a. वाहन का नाम			
b. मॉडल का विवरण/निर्माण वर्ष			
c. परिवहन विभाग में टैक्सी रूप में पंजीयन क्रमांक			
d. परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन एवं उसकी वैधता।			
e. बीमा कम्पनी का नाम/बीमा बैधता अवधि			
f. वाहन स्वामी का नाम व पता			
g. वाहन का प्रति लीटर औसत माईलेज			
किराये का प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–			
फिक्स किराये का प्रस्तावः–			
विना डीजल फिक्स मासिक किराया			

3. अन्य कोई विवरण जो देना चाहेः–

टीपः– ऐसे वाहन प्रदाता जो नवीन वाहन क्रय कर लगाना चाहते हों, उन्हे विन्दु a,b एवं g में जानकारी देना अनिवार्य है तथा चयन होने पर 10 दिवस के अंदर वाहन क्रय कर सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये विन्दु a से g तक जानकारी उपलब्ध कराना होगा।

अनुबंध शर्तो की सहमति संलग्न करते हुये प्रस्ताव प्रस्तुत है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

पन्ना,दिनांक.. (प्रस्ताव प्रस्तुत कर्ता के हस्ताक्षर)